2013 का विधेयक संख्यांक 13

आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
- 2. धारा 41 का संशोधन ।

आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:--

- 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन संक्षिप्त नाम सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन अधिनियम, 2013 है । और प्रारम्भ ।
 - (2) यह 14 मई, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।
- 2. आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना धारा 41 का ^{2012 का 11} और विनियमन अधिनियम, 2012 की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में ^{संशोधन ।} "पच्चीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पचास वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।

शिमला-171004.

दिनांक : 30 - 04 - 2013

में इत विधेयक पर अनुमति देती हूं

शिमला—171002. दिनांक :28— — 2013 હિલાલકાડ) (તાલ છે)

अध्यक्ष् । अध्यक्ष 🔧 िमामल प्रदेश ८ ि ा समा, शिमल

उर्गिषा प्री **१११**कियमिल। हिमाचल प्रदेग

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 13 OF 2013

THE IEC (INDIA EDUCATION CENTRE) UNIVERSITY ESTABLISHMENT AND REGULATION AMENDMENT BILL, 2013

THE IEC (INDIA EDUCATION CENTRE) UNIVERSITY ESTABLISHMENT AND REGULATION AMENDMENT BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

- 1. Short title and commencement.
- 2. Amendment of section 41.

THE IEC (INDIA EDUCATION CENTRE) UNIVERSITY ESTABLISHMENT AND REGULATION AMENDMENT BILL, 2013

(PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the IEC (India Education Centre) University Establishment and Regulation Act, 2012 (Act No. 11 of 2012).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the IEC (India Education Centre)

Short
University Establishment and Regulation Amendment Act, 2013.

Short title and commencement.

- (2) It shall be deemed to have come into force on 14th day of May, 2012.
- 2. In section 41 of the IEC (India Education Centre) University Amendment of section 11 of 2012 Establishment and Regulation Act, 2012, in sub-section (2), in the proviso, of section for the words "twenty five years", the words "fifty years" shall be substituted.

मैं, "आई. ई. सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 13)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर्ती-हूं।

राज्यपाल, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश।

राज्यपाल ने "आई. ई. सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 13)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

चिराग आन् रिट सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार।